



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1999]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2009/अग्रहायण 10, 1931

No. 1999]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2009/AGRAHAYANA 10, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3064(अ).— केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री पी.नारायण उन्नी, नवारा इको फार्म, करुकमानी कालम, डाकघर पल्लकड़, केरल, (ii) समन्वयक और अध्यक्ष, सेन्टर फॉर इनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बी-27/1, दक्षिण तुईकुआल, एजवाल-796 001, मिजोरम, (iii) श्री राजू बरवाले, महको, जलना, महाराष्ट्र और (iv) डा. (श्रीमती) वनजा रामप्रसाद, ग्रीन फाउंडेशन, 570/1, पदमावति निलाया, चौथा क्रास, तीसरा मेन, एन.एस.पालया, बीटीएम दूसरा स्तर, बंगलुरु-560076, कर्नाटक को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अशासकीय सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए अधिसूचना संख्यांक का.आ.1589(अ), तारीख 11 नवंबर, 2005 में, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, मद (ix), (x), (xi) और (xiii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ix) राष्ट्रीय या राज्य स्तर के कृषक संगठन से एक प्रतिनिधि : श्री पी.नारायण उन्नी, नवारा इको फार्म, करुकमानी कालम, डाकघर पल्लकड़, केरल- सदस्य

- (x) जनजातीय संगठन से एक प्रतिनिधि : संयोजक और अध्यक्ष, सेन्टर फॉर इनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बी-27/1, दक्षिण तुईकुआल, एजवाल-796 001, मिजोरम- सदस्य
- (xi) बीज उद्योग से एक प्रतिनिधि : श्री राजू बरवाले, महको, जलना, महाराष्ट्र-सदस्य
- (xii) राष्ट्रीय या राज्य स्तर के कृषि क्रियाकलाप से सहबद्ध महिला संगठन से एक प्रतिनिधि : डा. (श्रीमती) वनजा रामप्रसाद, ग्रीन फाउण्डेशन, 570/1, पदमावति निलाया, चौथा क्रॉस, तीसरा मेन, एन.एस.पालया, बीटीएम दूसरा स्तर, बंगलुरु-560076, कर्नाटक -सदस्य

2. उपरोक्त सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।”

[फा सं. 2-3/2009-एस.डी V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 11 नवम्बर, 2005 में सं. का.आ. 1589(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन सं. का.आ. 1883(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2006 और सं. का.आ. 1316(अ) तारीख 11 मई, 2009 द्वारा किया गया है ।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3064(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby nominates (i). Shri P. Narayanan Unny, Navara Eco Farm, Karukamani Kalam, PO Pallakad, Kerala, (ii). Coordinator and Chairman, Centre for Environment Protection, B-27/1, Tuikual South, Aizwal-796 001, Mizoram, (iii). Shri Raju Barwale, Mahyco, Jalna, Maharashtra and (iv). Dr. (Mrs.) Vanaja Ramprasad, Green Foundation, 570/1, Padmavathi Nilaya, 4th Cross, 3rd Main, N.S. Palya, BTM 2nd Stage, Bangaluru-560076, Karnataka as non-official members of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S O. 1589(E), dated the 11th November, 2005, namely: -

In the said notification, for items (ix), (x), (xi), and (xiii) and the entries relating thereto, following shall be substituted, namely: -

- "(ix) One representative from a National or State level Farmers' Organisation: Shri P. Narayanan Unny, Navara Eco Farm, Karukamani Kalam, PO Pallakad, Kerala -
Member.
- (x) One representative from a tribal organisation: Coordinator and Chairman, Centre for Environment Protection, B-27/1, Tuikual South, Aizwal-796001, Mizoram -
Member.
- (xi) One representative from the seed industry: Shri Raju Barwale, Mahyco, Jalna, Maharashtra -
Member.
- (xiii) One representative from a National or State level Women's Organisation associated with Agricultural activities:
Dr. (Mrs.) Vanaja Ramprasad, Green Foundation, 570/1, Padmavathi Nilaya, 4th Cross, 3rd Main, N.S. Palya, BTM 2nd Stage, Bangaluru-560076, Karnataka -
Member

2. The terms of office of the aforesaid Members shall be for a period of three years from the date of their appointment."

[F. No. 2-3/2009-SD. V]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

ote : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th November, 2005, vide No. S.O. 1589(E), dated the 11th November, 2005 and subsequently amended vide No. S.O. 1883(E), dated 1st November, 2006 and No. S.O. 1316(E), dated 11th May, 2009.